17/5/24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण अथवा
पैरोकार सरकार उपस्थित। एलम्प्स बहस पर

[illegible signature]

हुक्म की
में जारी हु

मनन किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजातों व भू० अ० निरीक्षक, पटवारी हल्का रिपोर्ट दि० 7-3-22 का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष बहस पर मनन करने एवं उपरोक्त अवलोकन के आधार पर प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अतः प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अ० धारा-128 L.R. Act काबलीन नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलानुसार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

[signature] 17/3/22

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई

प्रकरण संख्याः— 267 / 2021
प्रकरण दायर दिनांकः— 17.12.2021
प्रकरण निर्णय दिनांकः— 17.05.2024

उनवान

1. हरिसिंह पुत्र रामस्वरूप
2. सत्यनारायण पुत्र दुलाराम
3. मानसिह पुत्र रामस्वरूप
4. डूँगाराम पुत्र आनन्दा

समस्त जाति गुर्जर निवासी श्यावलास कलॉ तहसील बसवा जिला दौसा ।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बसवा हाल तहसील बॉदीकुई।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर. एक्ट

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट पेश किया कि ग्राम बाढ बगीची पटवार हल्का श्यालावास कलां तहसील बसवा जिला दौसा में भूमि खतौनी संख्या नई 6 पुरानी 6 के खसरा नम्बर 354 रकबा 0.13 हैक्ट. स्थित है जो प्रार्थीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है। उपरोक्त वर्णित भूमि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त ममलूका मकबूजा खातेदारी की भूमि है जिसको प्रार्थीगण अर्से दराज बजमाने बुजुर्गान से काश्त कर मुफीद होते चले आ रहे है भूमि मुतदाविया के आस पास के पडोसीयों काश्तकारान जो कि प्रार्थीगण की कमजोरी का नाजायज फायदा उठाकर प्रार्थीगण की भूमि को दबाने की कोशिश में लगे रहते है जो कि आये दिन खेतो के मध्य बनी हुयी डोल/मेड को तोडते रहते है जिससे आये दिन झगडा फिसाद होते रहते है आये दिन आदमी मरने की सूरत पैदा हो जाती है संगीन वारदात पैदा होने की सम्भावना पैदा हो जाती है प्रार्थीगण पडोसी काश्तकारान से मुकाबिला करने में असमर्थ है ऐसी सूरत में प्रार्थीगण ने दिनांकः 8/12/2021 को अपनी भूमि खसरा नम्बर 354 रकबा 0.13 है0 का सीमाज्ञान करवा लिया था लेकिन फिर भी पडौसी काश्तकारान प्रार्थीगण को आये दिन हैरान परेशान करते रहते है इसलिये उक्त भूमि की जब तक पत्थरगढी व तारबंदी नही हो जाती तब तक उक्त भूमि खसरा नमबर 354 रकबा 0.13 है० वाके रामा बाढ बगीची तहसील बसवा जिला दौसा की पत्थरगढी व तारबंदी के आदेश प्रार्थीगण न्यायालय हाजा से प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रार्थीगण पडोसी काश्तकारान के अनुचित हस्तक्षेप से परेशान है प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 08/12/2021 के आधार पर पत्थरगढी व तारबंदी कर उक्त सीमा विवाद का स्थायी समाधान चाहते है ताकि आये दिन होने वाले झगडो से मुक्ति मिल सकें ।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि भूमि खसरा नम्बर 354 रकबा 0.13 है० वाके रामा बाढ बगीची तहसील बसवा हाल तह. बॉदीकुई जिला दौसा की मौके पर सीमाज्ञान

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

दिनांक 08/12/2021 के अनुसार मोके पर निशानात कायम कर मौके पर पत्थरगढी व तारबंदी किये जाने के लिये अप्रार्थी को आदेशित फरमाया जावें एवम आवश्यकता पडने पर पुलिस इमदाद की सहायता के आदेश जारी करने की कृपा करें ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी जर्ये नोटिस विधिवत की गई। प्रकरण में भू. अ. निरीक्षक बॉदीकुई एवं पटवारी हल्का श्यालावासकलॉ जॉच रिपोर्ट दिनांकः 07.03.2022 प्राप्त हुई। पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार बॉदीकुई ने उक्त रिपोर्ट को ही जवाब/बहस समझा जाने हेतु निवेदन किया। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण वकील बहस सुनी गई। प्रार्थीगण वकील द्वारा बहस में भूमि खसरा नम्बर 354 रकबा 0.13 है० वाके रामा बाढ बगीची तहसील बसवा हाल तह. बॉदीकुई जिला दौसा की मौके पर सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 08/12/2021 के अनुसार मोके पर निशानात कायम कर मौके पर पत्थरगढी व तारबंदी किये जाने के लिये निवेदन किया गया। हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एव संलग्न दस्तावेजात राजस्व जमाबंदी संवत 2076–79 खाता सं. नया 6 पुराना 6, सीमाज्ञान मौका पर्चा पटवारी हल्का श्यालावासकलॉ वाके ग्राम बाढ बगीची दिनांकः 08.12.2021 वं भू. अ. निरीक्षक बॉदीकुई एवं पटवारी हल्का श्यालावासकलॉ जॉच रिपोर्ट दिनांकः 07.03.2022 का अवलोकन किया गया। राजस्व जमाबंदी संवत 2076–79 खाता सं. नया 6 पुराना 6 के प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं। सीमाज्ञान मौका पर्चा पटवारी हल्का श्यालावासकलॉ वाके ग्राम बाढ बगीची दिनांकः 08.12.2021 के अनुसार प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि का सीमाज्ञान हो चुका है। परन्तु भू. अ. निरीक्षक बॉदीकुई एवं पटवारी हल्का श्यालावासकलॉ जॉच रिपोर्ट दिनांकः 07.03.2022 के अनुसार मौके पर उक्त भूमि पर प्रार्थीगण/खातेदारान का कब्जा काश्त नहीं है। अतः वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण/खातेदारान का कब्जा काश्त नहीं होने से उक्त भूमि की पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त विवेचन से प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उभयपक्ष बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजात व भू. अ. निरीक्षक बॉदीकुई एवं पटवारी हल्का श्यालावासकलॉ जॉच रिपोर्ट दिनांकः 07.03.2022 के अवलोकन के आधार पर प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–128 एल. आर.एक्ट पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

17/5/24

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई